

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
OFFICE OF THE COMMISSIONER EXCISE, ENTT. L. TAX DEPARTMENT  
L & N BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI-02.

No.:F.10(56)/96-97/EX./IMFL/PF/6015-29


Dated : 30/1/15

NOTIFICATION

In pursuance of the provision of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "Dry Days" on account of general elections to State Legislative Assembly of Delhi 2015 by L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-9, L-9A, L-10, L-11, L-12, L-12F, L-14, L-15, L-15F, L-16, L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-20, L-20F, L-21, L-21F, L-22, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-27, L-28, L-28F, L-29, L-29F, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, P-10 and P-13 licensees and opium vends located in Delhi :

1. On 05.02.2015 (Thursday) from 6:00 P.M. to 07.02.2015 (Saturday) upto 6 :00 PM (Polling Day) (i.e. for 48 hours).
2. On 10.02.2015 (Tuesday) full day ( On Counting Day ).

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days notified vide Notification No.F.10(56)/96-97/IMFL/Ex./1507-21, dated 10.12.2014.

  
(NEERAJ SEMWAL)  
COMMISSIONER OF EXCISE

No.:F.10(56)/96-97/EX./IMFL/PF/ 8015-29

Dated : 30/1/15

Copy forwarded to :

1. Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.
2. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
3. Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
4. The Divisional Commissioner-Cum-Secretary(Revenue), NCT of Delhi.
5. The Commissioner of Police, NCT of Delhi.
6. The Director of Information and Publicity for wide publicity.
7. The Dy. Secretary, GAD, Govt. of NCT of Delhi for notification in the Delhi Gazettee.
8. The Addl. Secretary(Law), Govt. of NCT of Delhi.
9. Dy. Commissioner(Taxes/Excise), Department of Excise, Entt. & Luxury Tax, GNCT of Delhi.
10. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
11. All Excise Inspectors/Sub Inspectors for ensuring strict compliance.
12. The Managing Director, DSSIIDC, DTTDC, DSCSC and Administrator, DCCWS.
13. Notice Board.
14. Guard File.
15. Website of the Department.

  
(NEERAJ SEMWAL)  
COMMISSIONER OF EXCISE



(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त  
एल-ब्लॉक, विकास भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली

सं. फा. 10(56)96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./पी.एफ.-II/ 6015-29


दिनांक: 3/1/15

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम-52 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के सामान्य चुनाव-2015 में होने के कारण निम्नलिखित तारीखों को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है जो कि सभी एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-7, एल-7एफजी, एल-7एफई, एल-8, एल-9, एल-9ए, एल-10, एल-11, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-15, एल-15एफ, एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-18, एल-18एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-27, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10 और पी-13, लाइसेंसधारकों और अफीम की दुकानों पर लागू होंगे।


1. दिनांक 05.02.2015 (बृहस्पतिवार) सांय 6.00 बजे से दिनांक 07.02.2015 (शनिवार) मतदान दिवस सांय 6.00 तक (जो कि 48 घंटे के लिए है)।
2. दिनांक 10.02.2015 (मंगलवार) (पूर्ण दिवस) मतगणना दिवस।

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की दिनांक 10.12.2014 की अधिसूचना संख्या फा. 10(56)/96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./1507-21 के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त शुष्क दिवस होंगे।

  
(नौरज सेमवाल)  
आबकारी आयुक्त, दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली
2. माननीय उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली सरकार, दिल्ली
4. प्रधान सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार, दिल्ली
5. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली
6. मण्डल आयुक्त एवं सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
7. पुलिस आयुक्त, दिल्ली
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार (वृहद प्रचार हेतु)
9. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार (दिल्ली राजपत्र के प्रकाशनार्थ)
10. अवर सचिव (विधि), दिल्ली सरकार, दिल्ली
11. उपायुक्त (कर/आबकारी), दिल्ली सरकार, दिल्ली
12. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वह अपने नियंत्रण के समस्त लाईसेंसधारियों को यह अधिसूचना परिचालित कराएं।
13. समस्त आबकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को सख्ती से पालन हेतु।
14. प्रबंध निदेशक, डी.एस.आई.डी.सी./डी.टी.टी.डी.सी./डी.एस.सी.एस.सी. प्रशासक एवं डी.सी.सी.डब्ल्यू.एस.।
15. सूचना पट
16. गार्ड फाईल
17. आबकारी विभाग, दिल्ली सरकार की वेबसाइट

  
(नीरज सेमवाल)  
आबकारी आयुक्त, दिल्ली